समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

यूपी मे 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' अभियान : 1 से 30 सितंबर तक सख्त नियम, बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा

Publisher

Published on 28 Aug 2025

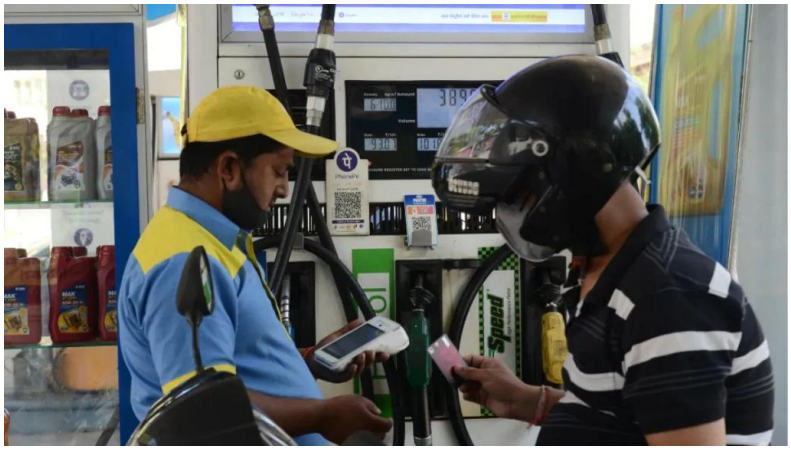

उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि **1 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' अभियान** पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इस दौरान किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल या डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

यह निर्णय सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों में हेलमेट पहनने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

अभियान का उद्देश्य

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं और उनमें से एक बड़ी संख्या दोपहिया वाहन चालकों की होती है।

- **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में लगभग 35% लोग बाइक या स्कूटर चालक होते हैं।
- हेलमेट पहनने से सिर की चोट का खतरा 70% तक कम हो सकता है।
- बावजूद इसके, लोगों की लापरवाही और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी इस समस्या को और बढ़ाती है।

यूपी सरकार का मानना है कि यह अभियान लोगों को सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करेगा और सड़क हादसों में कमी आएगी।

कैसे चलेगा यह अभियान ?

- परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम पेट्रोल पंपों पर नजर रखेगी।
- पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे **बिना हेलमेट किसी भी बाइक सवार को पेट्रोल न दे**।
- यदि कोई पंप संचालक नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- अभियान में **राज्य पेट्रोलियम एसोसिएशन** ने भी सरकार का सहयोग करने का आश्वासन दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को लेकर कहा—

> "हर नागरिक की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हेलमेट पहनना केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा है। हम चाहते हैं कि यूपी में हर व्यक्ति सुरक्षित यात्रा करे और किसी की जान सड़क पर न जाए।"

जनता की प्रतिक्रिया

इस अभियान को लेकर जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

- **समर्थन मे:**
  कई लोग मानते हैं कि यह पहल बेहद जरूरी है। यदि सख्ती से इसे लागू किया गया तो सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आएगी।
- **विरोध मे:**
  कुछ लोग इसे जनता पर अतिरिक्त दबाव मानते हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल पंप पर ऐसे विवाद भी हो सकते हैं जहाँ ग्राहक और पंप कर्मचारी के बीच झगड़े की स्थिति पैदा हो।

विशेषज्ञों की राय

- **ट्रैफिक विशेषज्ञ डॉ. आलोक त्रिपाठी :**
  "यह अभियान बेहद प्रभावी हो सकता है, लेकिन इसे केवल औपचारिकता न बनाकर वास्तविक रूप से लागू करना होगा। साथ ही हेलमेट की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना जरूरी है।"
- **समाजशास्त्री प्रो. संगीता मिश्रा :**
  "लोगों की मानसिकता बदलने में समय लगता है। यदि इसे लगातार चलाया जाए तो लोग इसे आदत बना लेंगे और सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे।"

पिछले अभियानों का अनुभव

यह पहली बार नहीं है जब इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है।

- **कर्नाटक, राजस्थान और दिल्ली** जैसे राज्यों में भी पहले "नो हेलमेट, नो फ्यूल" नियम लागू किए गए थे।
- कई जगहों पर इसका सकारात्मक असर देखने को मिला, लेकिन लंबे समय तक अभियान न चल पाने की वजह से लोग फिर से ढीले पड़ गए।

यूपी सरकार इस बार इसे **मजबूत मॉनिटरिंग और सख्त कार्रवाई** के साथ लागू करने जा रही है।

ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन जरूरी

यूपी पुलिस ने यह भी साफ किया है कि केवल पेट्रोल पंप ही नहीं, बल्कि सड़कों पर भी बिना हेलमेट पकड़े जाने पर चालान काटा

जाएगा।

- दोपहिया चालकों के लिए **₹1000 का जुर्माना** और
- बार-बार गलती करने वालों का लाइसेंस निलंबित करने की तैयारी है।

हेलमेट की अनिवार्यता से जुड़ी चुनौतियाँ

1. **ग्रामीण क्षेत्रों मे जंागरूकता की कमी** – गाँवों में कई लोग हेलमेट पहनने को जरूरी नहीं मानते।
2. **सस्ते और नकली हेलमेट** – बाजार में कम कीमत वाले हेलमेट बिकते हैं जो सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते।
3. **लंबे समय तक अभियान चलाने की आवश्यकता** – एक महीने का अभियान जरूरी है, लेकिन इसे नियमित रूप से लागू करना और भी प्रभावी होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार का यह '**नो हेलमेट, नो फ्यूल**' **अभियान** सड़क सुरक्षा के लिए एक साहसिक और आवश्यक कदम है। यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया और जनता का सहयोग मिला, तो यह न केवल हादसों को कम करेगा बल्कि लोगों में ट्रैफिक नियमों का पालन करने की आदत भी डालेगा।

अभियान का संदेश साफ है—
"हेलमेट पहनिए, सुरक्षित रहिए, वरना पेट्रोल नहीं मिलेगा।"

यह कदम आने वाले समय में पूरे देश के लिए एक उदाहरण साबित हो सकता है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.